

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-800014

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष-0612-2215035

संचिका सं०:-ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)-निबंधन-419/2024- 01 /पटना, दिनांक:- 08/01/2026

आदेश

निविदा आमंत्रण सूचना सं०-02/2024-25 के ग्रुप सं०-01 लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया अंतर्गत बहादुरपुर उद्धवह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य संवेदक मो० दानिश खान, दानिश अपार्टमेंट के निकट, मोहल्ला- समनपुरा, रूकनपुरा, जिला पटना (निबंधन सं०-MWRD0322C3IN2651 श्रेणी-III) को आवंटित किया गया था। एकरारनमा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-21.05.2025 थी। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक रूप से कार्य करने हेतु निदेशित किये जाने एवं कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि की समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक-696 दिनांक-20.06.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर के पत्रांक-1621 दिनांक-04.07.2025 द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक-2482 दिनांक-16.07.2025 द्वारा संवेदक मो० दानिश खान को डिबार करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-737 दिनांक-06.08.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जबाब अप्राप्त रहने के स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक-895 दिनांक-03.09.2025 द्वारा संवेदक को कारण पृच्छा का जबाब उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया, जिसके अनुपालन में संवेदक द्वारा दिनांक-10.09.2025 को कारण पृच्छा का जबाब इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण का जबाब पर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1089 दिनांक-22.10.2025 एवं पत्रांक-1158 दिनांक-13.11.2025 तथा पत्रांक-1305 दिनांक-15.12.2025 द्वारा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उनके पत्रांक-4247 दिनांक-29.12.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "अनेको स्मार दिये जाने के बाद संवेदक द्वारा काफी विलम्ब से कार्य प्रारंभ किया गया एवं आज तक कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कार्य में अभिरुचि नहीं लिये जाने तथा स-समय कार्य समाप्त नहीं किये जाने हेतु संवेदक मो० दानिश खान को डिबार किया जा सकता है।"

अतः वर्णित योजना का कार्य एकरारनमा के अनुसार पूर्ण करने हेतु बार-बार निदेशित किये जाने एवं निर्धारित तिथि की समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरान्त संवेदक मो० दानिश खान, दानिश अपार्टमेंट के निकट, मोहल्ला- समनपुरा, रूकनपुरा, जिला पटना (निबंधन सं०-MWRD0322C3IN2651 श्रेणी-III) को डिबार करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अगले आदेश तक निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि- मो0 दानिश खान, पिता-मो0 फहीम उद्दीन खान, दानिश अपार्टमेंट के निकट, मोहल्ला- समनपुरा, रूकनपुरा, जिला- पटना, पिन कोड- 800014, मो0-9905512612, ईमेल-danishmustafa499@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक-

५९

/पटना, दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना